ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2020

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

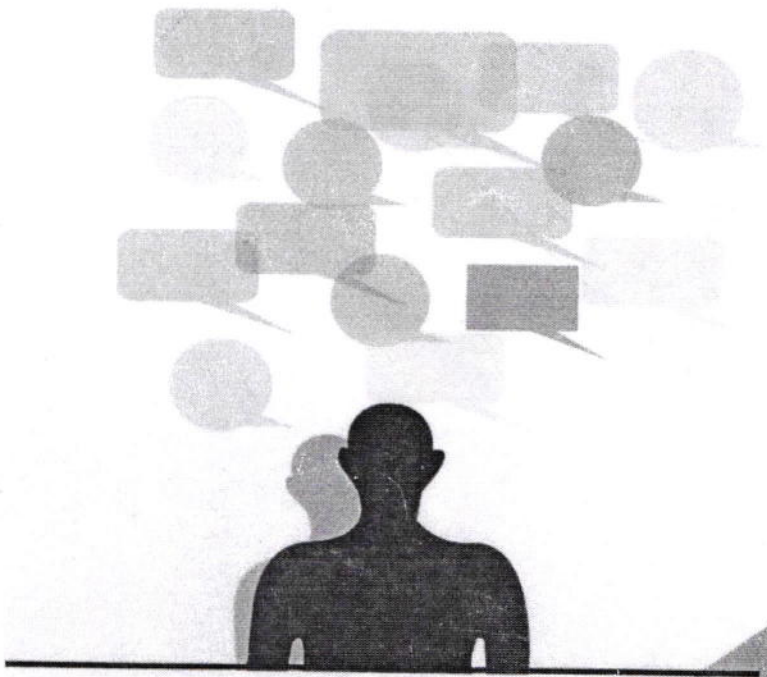

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

स्नातक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों के व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन–रवि; डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह 559
माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र के आधार पर शिक्षकों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन–शारदा प्रसाद सिंह; डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह 563
उत्तर भारत की जनजातियों में जल, जंगल एवं जमीन की समस्यायें एवं समाधान–अवन्तिका 567
आंचलिक उपन्यास: स्वरूप और उपकरण–डॉ० चिम्मन 571
अकादमिक पुस्तकालय सेवाएँ एवं ई०-संसाधन अनुप्रयोग: उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक अध्ययन–कुँवर संजय भारती; प्रतिमा शर्मा 574
भारतीय पत्रकारिता पर औपनिवेशिक संस्कृति का प्रभाव–मुन्ना लाल पाल 578
डॉ० जयप्रकाश कर्दम की कहानियों में नारी जीवन–श्रीमती पंकज यादव 581
वृद्ध कल्याण: चुनौतियां एवं समाधान–डॉ० शैलेन्द्र सिंह 584
दलित जीवन को उजागर करती आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन–डॉ० ज्योति गौतम 588
भारत की आर्थिक समीक्षा में मानव विकास का अध्ययन–इन्दु आसेरी 592
मध्यकालीन समाज में स्त्री और मीराबाई–डॉ० दीप कुमार मिनल 595
अवध में महिला प्राथमिक शिक्षा की स्थिति–गणेश कुमार 599
महिला ममर्धित अधिनियम एवं उच्च शिक्षा की महिला अध्येताओं की संचेतना–वन्दना शर्मा; प्रो० वन्दना गोस्वामी; डॉ० अजय सुराणा 604
साठोत्तरी हिन्दी कविता की प्रकृति–डॉ० श्रीनिवास सिंह यादव 608
भारत में महिलाओं की स्थिति और विकास का एक अध्ययन–डॉ० अनिल झा 613
आधुनिक भारतीय राजनीति में वंशवाद–दीपक कुमार राय 616
शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक मूल्यों का अध्ययन–डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय 619
चन्द्रकिरण सौनरेक्सा के कहानी संग्रह 'आधा कमरा' की समीक्षा: एक दृष्टि–विनोद कुमार सिंह 623
प्रणव ध्यान: योगोपनिषदों के आलोक में–नम्रता चौहान; डॉ० शाम गणपत तिखे 626
पंचकोशीय स्वप्रबन्धन: एक योगिक दृष्टि–अखिलेश कुमार विश्वकर्मा; डॉ० शाम गणपत तिखे; डॉ० उपेन्द्र बाबू खत्री 631
वेदांत दर्शन में ध्यान का स्वरूप–धनंजय कुमार जैन; डॉ० उपेन्द्र बाबू खत्री 636
भारत में पर्यावरण और जलवायु से जुड़े खतरे–डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 640
संस्कृत भाषा की उत्पत्ति एवं प्रवृत्ति एवं पाणिनि का योगदान–डॉ० योगिता मकवाना 642
शहरीकरण के प्रभाव और प्रबंधन–रामावतार आर्य 645
सामाजिक मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में आज की हिन्दी कविता–प्रद्योत कुमार सिंह 648
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था–समस्या और समाधान–डॉ० आयाज अहमद 653
पंचायती राज व्यवस्था व महिला नेतृत्व–डॉ० राम नरेश टण्डन 656
वर्तमान में नक्सलवाद: समस्या एवं समाधान–डॉ० भूपेन्द्र कुमार 659
ग्राम स्वराज एवं ग्रामीण विकास पर महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता–डॉ० विजय कुमार साहू 663
आयुर्वेद के अनुसार रज:श्रवाकाल में आहार: एक अध्ययन–नेहा सैनी; डॉ० तिखे शाम गणपत 666
पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज और गोरखनाथ–डॉ० सर्वेश चन्द्र शुक्ल 670
पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण की अवधारणा–डॉ० प्रमोद यादव; आशीष नाथ सिंह 672
"छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के संबंधों का एक व्यवहारिक अध्ययन" (राज्य मंत्रालय के विशेष संदर्भ में)
–डॉ० (श्रीमती) अलका मेश्राम; डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; दीपा 677
औद्योगिकीकरण का ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव–डॉ० जवाहर लाल तिवारी; दिनेश कुमार 681
रायपुर जिले के विकास में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की भूमिका का एक राजनैतिक विश्लेषण
–डॉ० (श्रीमती) रीना मजूमदार; डॉ० प्रमोद यादव; फैसल कुरैशी 686
ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका–डॉ० प्रमोद यादव; कमल नारायण 690
महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का एक राजनीतिक विश्लेषण
(रायपुर जिले के ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में)–डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; खेमप्रभा धृतलहरे 694
आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आने वाली समस्याओं के कारण एवं निवारण में जिला प्रशासन की भूमिका
–डॉ० (श्रीमती) अलका मेश्राम; डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; रामकृष्ण साहू 698

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

डॉ० प्रमोद यादव

(निर्देशक) सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, एस. आर. सी. एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

आशीष नाथ सिंह

शोधार्थी, एस.आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छग.)

भारतीय प्राचीन व्यवस्था में पंचायत प्राचीनकाल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए आज भी भारतीय जनमानस के उसके प्रति अगाध श्रद्धा एवं अटूट विश्वास दिखाई देता है। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है "पांच पंच मिलि किजै काज" "पंच वचन परमान" "पंच कहे सो न्याय" भगवान को टर जाए पै पंच कई न टरै" आदि लोकोक्तियों से पंच और पंचायत प्रणाली के प्रति भारतीय जनमानस की अपार श्रद्धा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

किसी भी देश में लोकतंत्र का विकास तभी संभव है जब स्थानीय इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के शासन में सामान्य जन की सक्रिय भागीदारी हो। यह भागीदारी ही लोकतंत्र का मापदंड निश्चित करती है। यह सब पंचायती राज के सफल कार्य संपादन एवं क्रियान्वयन से ही संभव है। स्थानीय स्वाशासन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय ईकाई होती है जिसमें जिला, नगर या गांव की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते है और अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक-कल्याण के लिए करते है।

वस्तुत: सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थायें अनिवार्य है। हैरल्ड लास्की का मत है कि "हम लोकतंत्रीय शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम यह न मान लें कि सभी समस्याएं केन्द्रीय समस्याएं नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिये जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते है। भारत जैसे देश में जहां तीन चौथाई से भी अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो वहां पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वत: सिद्ध है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी आधुनिक भारत में ग्राम स्वराज के लिए ग्राम पंचायत के सबसे बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है" स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता और शक्ति होगी इससे प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकेंगें।

पंचायती राज व्यवस्था में 73 वां संविधान संशोधन लाया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस संशोधन से संविधान के भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किये गये है जिसमें 15 उप अनुच्छेद है भाग 69 पंचायत में सचिव नियुक्ति का प्रावधान था। ग्राम पंचायत के सचिव हेतु उसके कार्यालयीन दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन एवं व्यवस्थित ढांचा का स्वरूप देना होता है कार्यालयीन काम-काज में गति प्रदान करना है काम-काज को एक निश्चित अनुक्रम के अनुसार दिशा प्रदान करना एवं उचित माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया को अपनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय में, एक सुव्यवस्थित कार्यालयीन व्यवस्था का वातावरण प्रदान करना एवं अपने आप को, कार्यालय एवं अभिलेख प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अनुकरण करके, विकास करना होता है और क्षमता लाना है। हर पंचायत कार्यालय में एक अच्छी सुव्यवस्थित रूप किया जाता है ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर पुरानी नस्तियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकें। अत: वर्तमान में ग्राम पंचायत कार्यालय में व्यवस्था का एक स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय के ग्राम-पंचायत सचिव को अनेक कार्य करने होंगें। किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आम जनता में कार्यालय के प्रति बनी धारणा में सुधार लाना है। यह तभी संभव होगा जबकि हम उनके प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। कार्यालय में नस्तियों का व्यवस्थित संधारण कर हम कार्य प्रवाह को सुगम बना सकते है। ग्राम पंचायत के काम काज पर ही पूरी पंचायत के प्रतिनिधि मुलरूप से विकास एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी है, किंतु ग्राम पंचायत कि प्रभावशीलता, ग्राम पंचायत सचिव पर ही निर्भर करती है। ग्राम पंचायत सचिव एक ओर तो ग्राम पंचायत कार्यालय प्रमुख है और दूसरी ओर शासकीय कार्यों का निर्वहन करने वाला है। अत: उसे ग्राम पंचायत कार्यालीय प्रक्रिया कार्यालीयन व्यवस्था तथा ग्राम पंचायत अधिनियम की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हुई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जन-जन के शासन की गतिविधियों को विकसित करने का सशक्त माध्यम पंचायती राज व्यवस्था को माना गया। अध्ययन क्षेत्र में लगभग आधी आबादी का प्रमुख हिस्सा महिलाएँ हैं, जिनकी सहभागिता ही पंचायती राज व्यवस्था देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से भागीदारी करने का कार्य सुनिश्चित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में जहां महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है, वहीं दूसरी ओर स्व-सहायता

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

समूह के माध्यम से महिलाएँ आपस में मिल बैठकर वैचारिक आदान-प्रदान कर रही है, जिससे उनमें राजनीतिक जागरूकता का प्रादुर्भाव हुआ है।

संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने इस सबको बदल दिया। इस तरह 73वें संशोधन के परिणामस्वरूप महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण का सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। पहला प्रभाव तो ग्राम पंचायत-स्तर पर प्रशासन और सेवाएँ प्रदान करने में स्पष्ट सुधार के रूप में सामने आया है जिसका मुख्य कारण विशेष तौर पर लोगों की वास्तविक जरूरतों, अधिक पारदर्शता, समस्तरीय सम्पर्कों पर अधिक निर्भरता और लोगों विशेषकर ग्राम समुदाय की महिला सदस्यों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना था। दूसरा, इस संशोधन में एक ऐसे राजनीतिक माहौल का निर्माण संभव हुआ है जिससे महिलाएँ सामाजिक दशा और आत्मविश्वास हासिल करने तथा दमन की परंपरा की सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ने में सक्षम हो सकी हैं।

मूल शब्द - पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण

पंचायती राज का महत्व

भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. प. नेहरू द्वारा पंचायती राज को भारत में सबसे बड़ी क्रांति की संज्ञा दी गई तथा इसे जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग निरूपति किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय लोगों की विचारधारा, कार्य समाज की बनावाट बदली है, बदल रही है तथा भविष्य में भी बदलत रहने की आशा व्यक्त की गई थी।

73वें संविधान संशोधन के जरिए हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। सबसे ज्यादा खुशियां उन गांवों में मनाई गई, जहां पंचायती राज होने के बाद भी वह सिर्फ कागजों में दफन थी। लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ऐसे में संविधान संशोधन कारगर हथियार साबित हुआ और पंचायती राज पूरी तरह से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बन सका। आधी आबादी को भी जनप्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ, जो संविधान में तो पहले से मिला था, लेकिन पितृसत्ता के सामने संविधान संशोधन में अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया गया था। देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके हक की बात आती तो पीछे धकेल दिया जाता। जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की में सहयोग दिया है। घर-परिवार हो या खेत-खलिहान किसी भी जगह आधी आबादी पीछे नहीं रही है।

केन्द्र सरकार की ओर से लागू किया गया साझा न्यूनतम कार्यक्रम एवं पंचायती राज को आर्थिक व सामाजिक न्याये के दो प्रमुख कार्यों के साथ पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिए जाने से स्थिति और बेहतर हुई। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने से करीब 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब देश में करीब 43 फीसदी तक महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

केन्द्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी-स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना, ई-प्रशासन योजना आदि, गांवों की तस्वीर बदलने लगे हैं। इससे जहां लोगों में जागरुकता आई हैं वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की ओर से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नित नए कदम से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायत में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरुकता आई है और वे छोटे-छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के राजनीति एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली।जब पंचायत में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई हैं। अब तो संसद तक में उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण का विकास तो हुआ ही है तथा महिलाओं को ग्राम पंचायतों में और केन्द्र सरकार में भी आरक्षण प्राप्त है जिनके माध्यम से वे ग्राम पंचायतों के विकास में अपना सक्रिय भागीदारी दिखा रही है महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिये गये है जिनके माध्यम से वह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रही है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

शोध साहित्य शोध के विषय कि न केवल सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करता है बल्कि किये जाने वाले कार्यों को दिषा भी देता है, प्रस्तावित शोध के लिए जिन शोध ग्रंथों का अध्ययन शोधार्थी द्वारा शोध की दिषा प्राप्त करने के लिए किया गया है वे इस प्रकार हैं:-

- अंजली वर्मा (2012) - ने स्व-सहायता समूह व महिला सषक्तीकरण के विषय पर महत्वपूर्ण अध्ययन किये, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान महिला अगर सषक्त न हो तो सामाजिक रूप बहुत से स्थानों पर उन्हें समाज में होने महिला अपराधों एवं आर्थिक व मानसिक रूप से जूझना पड़ता है, जिसके निराकरण के लिए भी सुझाव दिये हैं।
- रमेश (2010) - स्व-सहायता समूह की आवष्यकता समस्या समाधान जैसे विषयों पर विचार रखे हैं। अपने अध्ययन में इन्होंने-बताया है कि स्व-सहायता समूहों के कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान सषक्त रूप से कठिनाईयों का सामना कर अपने रोजगार मूलक स्व-सहायता समूहों की रक्षा कर अपने दायित्वों व पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम हो सकी है।
- पिट्टा उषा (2010) - Empowernent of Women and self help group के द्वारा महिला सषक्तीकरण पर अध्ययन किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम आज महिलाएं सषक्त हो रही हैं और स्वरोजगार अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही है।
- एस. मूर्ति (2007) - स्व-सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिला और उनके सषक्तीकरण के माध्यम से अध्ययन किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि महिलाएं आज विभिन्न समूहों के माध्यम से रोजगार मूलक योजनाओं संचालित कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और समाज में एक सषक्त भूमिका निभा रही है।

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

दृष्टिकोण

- ललित कुमावत (2004) - पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व शीर्षक के माध्यम से राजस्थान राज्य के कुछ पंचायतों का अध्यन के माध्यम से गैर बराबरी महिला समूहों के अध्ययन से इस बात का निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। विभिन्न संवर्ग की महिलाओं में जागरूकता एवं नेतृत्व की क्या स्थिति है।

उद्देश्य

छत्तीसगढ़ ाज्य का प्रवेश द्वारा राजनांदगांव जिला जहां प्रति हजार पुरूषों पर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या 1024 है अर्थात् जनांनकीय संरचना महिलाओं के अनुकूल है ऐसी स्थिति में महिलाओं की महिला सषक्तीकरण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का महिलाओं के राजनीतिक जागरूकता नेतृत्व पर क्या प्रभाव डाले हैं इस त्य का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन : उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

1. ग्राम पंचायत में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के प्रति आम जनता का दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है।
2. महिला जनप्रतिनिधियों की कार्यकुशलता पर पंचायत एवं स्व-सहायता समूह के साधारण सदस्यों का अध्ययन किया गया।

परिकल्पन

1. महिलाओं के राजनीतिक सक्रियता एवं नेतृत्व के प्रति समाज एवं परिवार के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा हैं।
2. पंच्यती राज व्यवस्था में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ने से केन्द्र व राज्य की सभी योजना का संचालन सुलभ हो रहा हैं।

पंचायती ाज व्यवस्था एवं महिला स्व-सहायता समूहों ने सशक्तिकरण

पंचायती ज योजना जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण् के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रयोग गिनी जाती है। प्रशासन के क्षेत्र में पंचायती राज केवल एक विशिष्ट प्रशासकीय तनीक का नया विचार है जिसका जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर अभ्यास किया जाता है। पंचायती राज योजना जनतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा राजनैतिक शाि के अधिकतम विकेन्द्रीकरण किए जाने का एक प्रयास है। यह लोगों को अपने स्वयं के मामलों के प्रबंध करने के उत्तरदायित्व देने में एक उत्साहवर्धक ाहसिक कदम है। देश के पांच लाख और इससे अधिक ग्रामों को पंचायती राज द्वारा एक ऐसी संस्था उपलबध कराना है।

पंचायता राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिषत आरक्षण मिलने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है धीरे-धीरे समय में परिवर्तन आ रहा है। पिता-पुत्रियों को शिक्षित करनें लगे हैं। सामाजिक रूढ़िवादी बंधन ढीले हुए हैं। महिलाओं में इस बात का अहसास जागृत हुआ है कि उनका भी कुछ अस्तित्व है। पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला स्व-सहायता समूहों ने सपक्तिकरण की दिषा में एक नया युग का शुभारंभ किया है, महिला जनप्रतिनिधि धीरे-धीरे अपनी भूमिका को स्वतंत्र रूप में उनका अस्तित्व बने इस बात के लिए निरंतर प्रयासरत् है। इस शोध के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि हम राजनांदगाँव जिले में पंचायती राज व्यवस्था एवं स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सषक्तिकरण के परिणाम स्वरूप उनमें राजनीतिक जागरूकता नेतृत्व एवं सहभागिता की क्या स्थिति है, पंच, सरपंच जिला पंचायत सदस्य के साथ-साथ ग्राम सभाओं में महिला स्थानीय विकास एवं नेतृत्व को किस प्रकार प्रभावित कर रही है।

प्र.1. क्या आप इस ब्रात से सहमत हैं कि क्या आप पंचायती राज अधिनियम के बारे में जानकारी रखते हैं यदि हाँ तो इस अधिनियम में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है ?

सारणी क्रमांक 01

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	91	60.67
02	नहीं	54	36.00
03	कह नहीं सकते	5	3.33
	योग	150	100

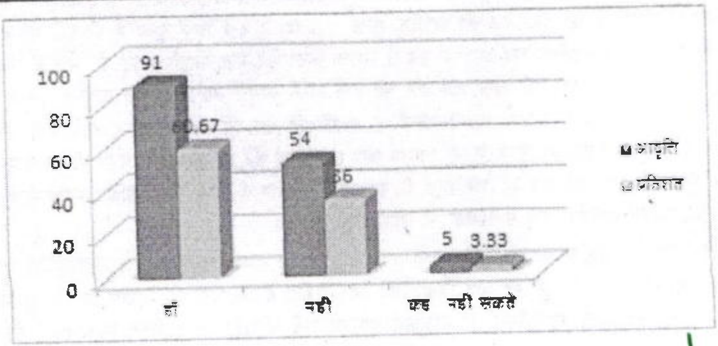

Seth R.C.S. Arts & Commerce DURG Chhattisgarh (C.G.)
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन के लिये चयनित उत्तरदाताओं में 60.67 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि पंचायती राज अधिनियम के बारे में जानकारी रखते हैं और पंचायती राज में कई अधिनियम महिलाओं के लिए है जिनकी जानकारी उन्हें है। जैसे महिला आरक्षण की जानकारी आदि वहीं 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि उन्हें पंचायती राज अधिनियम और महिला के लिये प्रावधानित अधिनिमय की जानकारी उन्हें नहीं है। इसके साथ ही 3.33 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थता बनाते हुए कम पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया।

प्र. 2 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि छ.ग. शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

सारणी क्रमांक 2

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	85	56.67
02	नहीं	55	36.67
03	कह नहीं सकते	10	6.67
	योग	150	100

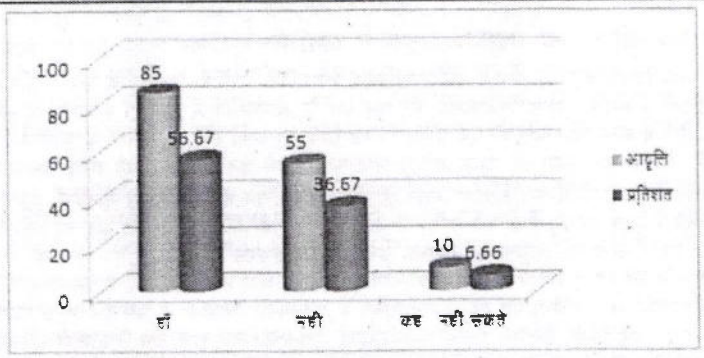

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययनगत उत्तरदाताओं में 56.67 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है छ.ग. शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। वहीं 36.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि नहीं हुई है जबकि 6.66 उत्तरदाता ने अपना विचार व्यक्त नहीं किया।

निष्कर्ष एवं सुझाव

महिलाएं साधारणत: प्रत्येक समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी संख्या लगभग पुरुषों के समान है। महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी में भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसका तात्पर्य - सभी क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति व क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे अपना कल्याण स्वयं कर सकें। फिर भी हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही रहती है इसके पीछे अनके कारण है। इस शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों, माध्यमों, बाधाओं अथवा चुनौतियों पर प्रति विचार किया गया है।

महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है उन्हें सिर्फ पुरुष से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रुप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कानून अधिकार मिल चुके हैं। महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह उन्हें अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी। सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रतिगामी ताकतें सामाजिक यथास्थिति बाद को बढ़ावा देती है और कभी कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे धकेलती है। प्रश्न यह है कि सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया क्या हो सकता है? इसका जवाब बहुत ही सरल पर लक्ष्य कठिन है। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है, समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है।

- महिला सशक्तिकरण हेतु उपर्युक्त सारे प्रयास एवं सुझाव तभी उपयोगी होंगे जब राजनीतिक उपायों से समुदायों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाएगा। ग्रामीण समुदायों के दिमाग में यह बात बिठाने की आवश्यकता है कि महिलाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इस हेतु स्वयं महिलाओं एवं अन्य कट्टरपंथियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है।

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

दृष्टिकोण

- महिलाओं के राजनीति के क्षेत्र में सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हों जो उनके लिए बनाई जा रही हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब वे स्वयं भी उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हों जो नीति-निर्माण व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, प्रभावी चुनावी व्यवस्था, संवेदनशील एवं उत्तरदायी जनता आदि मिलकर महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता एवं सहभागिता को बढ़ावा दे सकते हैंद्य इन सभी के संयुक्त प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- महिला सहभागिता अभियान को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के एक प्रमुख भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाना चाहिए।
- विभिन्न गैर-सरकारी संगठन पंचायती राज में महिला सहभागिता के लिए समुदायों को शिक्षित एवं गतिशील कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. यादव डॉ. वीरेन्द्र सिंह नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण अवधारणा एवं सरोकार, ओमेगा पब्लिकेशन, 2010 पृ. 45, नई दिल्ली
2. अग्रवाल सिखा: राजनीतिक परिदृश्य में नारी, पाईन्टर पब्लिकेशन, 2001, पृष्ठ 155, नई दिल्ली
3. पाठक इन्दु राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र मार्च, वर्ष 2007 53 अंक 5 पृष्ठ 28, नई दिल्ली
4. वर्मा अंजली भारत में पंचायती राज 2012 ओमेगा पब्लिकेशन पृ. 50, नई दिल्ली
5. उमावत ललित पंचायती राज महिला समूह का उभरत नेतृत्व, क्लासिकल पब्लिसिंग कंपनी, 2004 पृष्ठ 61, नई दिल्ली
6. द्विवेदी डॉ. राधेश्याम पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाऊस पब्लिकेषन, 2005 पृष्ठ 44, भोपाल
7. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह: पचायत राज एवं महिला नेतृत्व: प्रथम संस्करण रावत पब्लिकेशन्स, 2000, पृष्ठ संख्या 136, जयपुर

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)